"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 8 जुलाई 2014—— आषाढ़ 17, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–2/आठ–परि./2014.– मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 70–क के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"**70–ख. प्रक्रम वाहन अनुज्ञापत्र के समय–चक्र के विनियमन हेतु.– (1) आवश्यकता**– धारा 71 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी मार्ग पर नवीन प्रक्रम वाहन अनुज्ञापत्र के आवेदन पत्र की स्वीकृति संबंधी अथवा विद्यमान अनुज्ञापत्र के समयचक्र के परिवर्तन के लिये अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, आवेदन पत्र के अवधारण एवं उस पर विचार करते समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान देगा:–

(क) यात्रा कर रहे लोगों को लाभ एवं सुविधा उपलब्ध कराना;

(ख) अन्य मार्ग के संचालकों के समय–चक्र अंतराल और मार्ग पर समय–चक्र टकराव;

(ग) प्रक्रम वाहन सेवा की गति, कम दूरी अथवा लम्बी दूरी की सेवा की आवश्यकता अर्थात् 100 कि.मी. के लिए, 200 कि.मी. के लिए अथवा 200 कि.मी. से अधिक के लिए, पर विचार;

(घ) आवेदित समय–चक्र पर मार्ग के दोनों छोरों के बीच समय–चक्र की आवश्यकता एवं आवेदित समय–चक्र यातायात के भीड़भाड़ वाले समय अथवा कम भीड़भाड़ वाले समय में, विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों के यात्रा कर लोगों को उससे लाभ पर तथा "साधारण सेवा" अथवा "एक्सप्रेस सेवा" अथवा "डीलक्स सेवा" की आवश्यकता पर भी विचार;

(ङ) मार्ग तथा रेल परिवहन को जोड़ने के लिए समुचित समय–चक्र एवं मार्ग पर पर्यटक स्थलों, धार्मिक अथवा औद्योगिक नगरों इत्यादि के बीच जोड़ने की आवश्यकता;

(च) समय–चक्र के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय/प्राधिकारी के मार्गदर्शी सिद्धान्त; और

(छ) विद्यमान बस संचालकों की आपत्तियों तथा जनता स्वयं सेवी संस्थाओं, जन प्रतिनिधियों इत्यादि द्वारा की गई मांगों तथा दिये गये सुझाव पर विचार।

(2) आवृत्ति का निर्धारण.– (एक) मुकदमेबाजी, विवाद एवं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बिना मार्गों पर बस सेवाओं के सामान्य संचालन के लिए तथा समय–चक्र के बीच समुचित अन्तराल बनाये रखने के लिए, यह आवश्यक है कि उन पर अनुशासन बना रहे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के क्रम में, अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, प्रत्येक क्षेत्रीय अथवा अन्तर–क्षेत्रीय मार्गों पर आवृत्ति (आवृत्ति से तात्पर्य मार्ग पर दो सेवाओं के बीच समय–चक्र का अन्तराल है) निर्धारित करेगा। सुबह से रात्रि में ग्यारह बजे के बीच आवृत्ति अवधारित करने के लिए, ऐसा प्राधिकारी निम्नलिखित बातों पर ध्यान देगा:–

(क) उप–नियम (2) में उल्लिखित अनुसार मार्गदर्शी सिद्धान्त;

(ख) विशिष्ट मार्ग पर यातायात के व्यस्त घंटों एवं यातायात के न्यून घंटों के दौरान सेवा की आवश्यकता;

(ग) कोई अन्य संबंधित विषय, जिन पर प्राधिकारी विचार करना चाहे।

(दो) खण्ड (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी मार्ग को यातायात के घनत्व (सघनता) के आधार पर विभक्त करेगा–

(क) उच्च घनत्व वाले यातायात के मार्ग– अर्थात् ऐसे मार्ग, जिन पर प्रक्रम वाहन, अधिक संख्या में, जो बहुत ही कम अन्तराल पर अर्थात् शून्य से दस मिनट के अन्तराल पर संचालित है एवं उस पर यातायात का भार अधिक है।

(ख) मध्यम घनत्व वाले यातायात के मार्ग– अर्थात् ऐसे मार्ग, जिन पर मध्यम स्तर का यातायात हो और जिन पर प्रक्रम वाहन 15 से 30 मिनट के अन्तराल में सामान्य रूप से संचालित हो रहे हों।

(ग) न्यूनतम घनत्व वाले यातायात के मार्ग– अर्थात् ऐसे मार्ग, जो उच्च घनत्व वाले यातायात के मार्ग में न तो सम्मिलित हैं और न ही मध्यम घनत्व वाले यातायात के मार्ग में सम्मिलित हैं।

टीप– इस खण्ड के प्रयोजन हेतु "सड़क" से अभिप्रेत है एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक का राजमार्ग, जैसा कि अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी आवश्यक समझे, जिस पर अनेक विभिन्न मार्ग ऊपर से होकर अथवा अन्यथा निकलते हैं।

(3) समय–चक्र के संबंध में प्रक्रम वाहनों की गति.– अधिनियम की धारा 112 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तथा सामान्य समय–चक्र निर्धारित करने के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुज्ञापत्र पर संचालित प्रक्रम वाहन की गति निम्नानुसार होगी–

(एक) साधारण प्रक्रम वाहन– 35 कि.मी. प्रति घंटा;

(दो) साधारण एक्सप्रेस प्रक्रम वाहन– 40 कि.मी. प्रति घंटा;

(तीन) डीलक्स बस– 45 कि.मी. प्रति घंटा;

(चार) डीलक्स एक्सप्रेस बस– 50 कि.मी. प्रति घंटा; तथा

(पांच) रात्रिकालीन बस सेवा– 55 कि.मी. प्रति घंटा।

(4) प्रक्रम वाहनों के लिए विराम स्थल एवं रूकने का समय.–(एक)अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, प्रत्येक प्रक्रम वाहन के मार्ग पर, अन्य मार्ग, जिन पर वाहन आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से अथवा अन्यथा उपर से गुजरता है, ऐसे मार्ग पर स्वीकृत अथवा स्वीकृत होने वाले समस्त अनुज्ञापत्रों पर सामान्य विराम स्थल और उनके रूकने का समय निर्धारित करेगा। ऐसे विराम स्थल और रूकने का समय, पृथक रूप से सेवाओं के विभिन्न प्रकारों के लिये निर्धारित किया जा सकेगा, जैसे "साधारण सेवा", "एक्सप्रेस सेवा" अथवा "डीलक्स सेवा" आदि।

(दो) प्रक्रम वाहन अनुज्ञापत्र की स्वीकृति अथवा नवीकरण के प्रत्येक आदेश में, अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, विशिष्ट रूप से सेवा का प्रकार इंगित करेगा, जैसे "साधारण सेवा", "एक्सप्रेस सेवा" अथवा "डीलक्स सेवा" आदि और ऐसे मार्ग के बीच के विराम स्थल उपरोक्त खण्ड (एक) में निर्धारित किये गये विराम स्थल एवं रूकने वाले समय से भिन्न नहीं होंगे।

(तीन) अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, जब मार्ग का समय–चक्र अवधारित करे, तो निम्नानुसार विराम स्थल में रूकने का समय मार्ग के बीच के स्थानों के लिए निर्धारित करेगा:–

मार्ग के बीच के स्थानों के लिए प्रक्रम वाहन		साधारण	एक्सप्रेस / डीलक्स
(क)	जिला मुख्यालय	10 मिनट	05 मिनट
(ख)	तहसील मुख्यालय	05 मिनट	03 मिनट
(ग)	अन्य कस्बे, जिनकी जनसंख्या दस हजार से अधिक नहीं है।	03 मिनट	02 मिनट
(घ)	ग्राम	01 मिनट	निरंक

परन्तु यह कि अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, विशेष प्रकरणों में, मार्ग में पड़ने वाले औद्योगिक नगर, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल अथवा अन्यथा आदेश में ऐसे परिवर्तन का कारण दर्शाते हुए, परिवर्तन कर सकेगा, जो ऐसे मार्ग के समस्त सेवाओं पर लागू होंगे।

(चार) खण्ड (तीन) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रात्रिकालीन सेवा, जो 200 कि.मी. से अधिक एक ओर संचालित हो रही है, उसके विराम स्थल के रूकने का समय, मार्ग के बीच के जिला मुख्यालय के लिए 5 मिनट और भोजन के लिए किसी ढ़ाबे अथवा हॉटल पर 15 मिनट होगा।

(पांच) उपरोक्त खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अन्तर्राज्यीय मार्ग का समय–चक्र, छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष पारस्परिक यातायात समझौते के अनुबंधों के द्वारा संचालित होगा। तथापि विराम स्थल और वहां रूकने का समय, उप–नियम (6) के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकेगा।

(छः) अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन माह के अंदर उप–नियम (6) के उपबंधों का पालन करेगा।

(5) समय–चक्र अवधारण करने हेतु प्रक्रिया.– (एक) धारा 71 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, प्रक्रम वाहन के अनुज्ञापत्र की स्वीकृति के संबंध में अथवा उसके समय–चक्र के परिवर्तन का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ऐसे प्रकाशन से सात दिन के भीतर कोई अभ्यावेदन आमंत्रित करने के लिए कार्यालयीन सूचना–पटल पर सुनवाई की तारीख सहित ऐसे आवेदन पत्र का सारांश प्रकाशित करेगा।

(दो) सुनवाई की निर्धारित तारीख पर, किसी अभ्यावेदन सहित आवेदन पत्र पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा उभय पक्षों की उपस्थिति में विचार किया जाएगा।

(तीन) प्रत्येक अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, इस नियम के उपबंधों के अनुसार मार्गवार समय–चक्र सूची कम्प्यूटरीकरण सहित संधारित करेगा।

(चार) इस नियम के उपबंधों पर विचार करते हुए, नियम 74 के उप–नियम (4) द्वारा निर्धारित समय–सीमा में समुचित आदेश पारित किया जायेगा।

(6) राज्य शासन की शक्तियां.– (क) नियम 70–क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और लगातार हो रहे बस दुर्घटनाओं, यात्रियों की ओव्हर लोडिंग, समय–चक्र के अन्तराल के कम होने संबंधी, मार्ग संचालकों के बीच हो रहे झगडों अथवा अन्य कोई संबंधित विषय, जैसे कि यात्रियों को अच्छी और सुविधाजनक सेवायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता, महिला यात्रियों की सुरक्षा, कम बैठक क्षमता वाली यात्री प्रक्रम सेवाओं आदि के कारण राज्य शासन, इस नियम के उप–नियम (4) में उल्लिखित उच्च घनत्व क्षमता वाले यातायात मार्ग पर वैध अनुज्ञापत्र के अधीन संचालित होने वाली यात्री बसों में उच्चतर बैठक क्षमता, आदेश द्वारा निर्धारित कर सकेगा। ऐसी पंजीकृत बैठक क्षमता "साधारण सेवा" के संबंध में 40 सीट से कम नहीं होगी और "डीलक्स सेवा" के संबंध में 35 सीट से कम नहीं होगी। राज्य शासन द्वारा छः माह का समय, ऐसे अधिसूचित मार्गों पर संचालित हो रहे वाहन के प्रतिस्थापन के लिए, दिया जा सकेगा।

(ख) राज्य शासन आंशिक अथवा पूर्ण रूप से आदेश द्वारा, विशिष्ट मार्ग के संबंध में ऊपर दी गई कोई एक या किसी भी शर्त से, लिखित में कारण बताते हुए, छूट दे सकेगा।"

No. F 5-2/viii-Trans/2014.– In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After rule 70-A, the following shall be added, namely:-

"70-B. For Regulating Timing of Stage Carriage Permit.- (1) Necessity- Subject to the provision of Section 71, for consideration and determination of time cycle on any route regarding grant of application of new Stage Carriage permit or for the change of time cycle of existing permit, the Permit Granting Authority, at the time of consideration and determination of application shall pay special attention to the following points:-

(a) Providing benefit and facility to traveling public;

(b) Time cycle interlude and time cycle clash on route to operators of other route;

(c) Consideration of speed of Stage Carriage services, need of service for short distance or long distance, namely up to 100 Kms, up to 200 Kms or more than 200 Kms.;

(d) Consideration of necessity of timings between two terminals of the route on the applied timings and whether the applied timings falls in rush hours of traffic or slack hours, benefit to traveling public particularly to remote rural areas and back-ward areas, etc. and also the necessity of "Ordinary Service" or "Express Service" or "Deluxe Service" thereon;

(e) Necessity of appropriate timings for co-ordination of road and rail transport and connectivity between Tourists places, religious or industrial towns etc, on the route;

(f) Guidelines of superior court/authority in respect of timings; and

(g) Consideration of objections of existing bus operators and demand and suggestions from the public, NGOs, public repreventatives etc.

(2) Fixation of frequency.- (i) For the smooth operation of bus services on routes without litigation, quarrel and un-healthy competition, and for proper interlude of time cycle, it is necessary to maintain discipline there on. In order to achieve this objective, the Permit Granting Authority shall fix the frequency (frequency means interval of timings between two services on a route) of each Regional or Inter-regional route. For determine the frequency between dawn to eleven o'clock in the night, such authority shall pay attention to the following-

(a) Guidelines as mentioned in sub-rule (2);

(b) Necessity of service during peak hours of traffic and lean hours of traffic on a particular route; and

(c) Any other relevant matters that the Authority desires to consider.

(ii) Subject to the provision of clause (1), the Permit Granting Authority shall categorize the road on the basis of density of traffic-

(a) **High density traffic road-** means such road on which Stage Carriages are running in large number with close interlude of zero to ten minutes and passenger traffic load is very high.

(b) **Medium density traffic road-** means such road which has medium traffic and on which Stage Carriages are running normally with a gap of 15 to 30 minutes.

(c) **Low density traffic road-** means such road which are neither High density traffic road nor Medium density traffic road.

Note- "Road" for the purpose of this clause, means any high-way from one point to another as considered necessary by the Permit Granting Authority on which several different routes overlap or otherwise.

(3) **Speed of Stage Carriages regarding time cycle-** Subject to the provision of Section 112 of the Act and for fixation of common timings the speed of Stage Carriage running on a permit in Chhattisgarh State shall be as under-

(i) Ordinary Stage Carriage- 35 kms per hour;

(ii) Ordinary Express Stage Carriage- 40 kms per hour;

(iii) Deluxe bus-45 kms per hour;

(iv) Deluxe Express bus - 50 kms per hour; and

(v) Night Service bus -55 kms per hour.

(4) **Stoppages and halting time for stage carriages-** (i) On every stage carriage route, on which other route overlaps partly or fully or otherwise the Permit Granting Authority shall fix the common stoppages and the halting times of all permits granted or to be granted on such route. Such stoppages and halting times may be separately fixed for different types of services i.e. "Ordinary Service", "Express Service" or "Deluxe Service" etc.

(ii) In every order of grant or renewal of Stage Carriage permit, the Permit Granting Authority, shall specifically indicate the type of service i.e. "Ordinary Service", "Express Service" or "Deluxe Service" etc. and en-route stoppages, of such route, which shall not be varied from the stoppages and halting times fixed under clause (i) above.

(iii) Permit Granting Authority, while determining route timings shall allot the stoppages halting times of enroute stations as follows:-

Stage Carriers for en-route	Ordinary	Express /Deluxe
(a) District Head Quarters	10 minutes	05 minutes
(b) Tehsil Head Quarters	05 minutes	03 minutes
(c) Other towns, the population of which is less than ten thousand.	03 minutes	02 minutes
(d) Villages	01 minutes	Nil

Provided that Permit Granting Authority may vary timings, in particular cases, of industrial town, religious place, tourist place or otherwise falling on the route, giving reasons for such variation in the order, which shall apply to all services on such route.

(iv) Notwithstanding anything contained in clause (iii), the stoppage timings of halting stations of a night service running more than 200 kms one side, shall be 5 minutes at enroute district head quarters and 15 minutes for meal-break at any Dhaba or hotel.

(v) Notwithstanding anything contained in clause (i), (ii) and (iii) above, timings of, Inter-State route shall be governed by the provisions of particular Reciprocal Transport Agreement, with the State of Chhattisgarh. However stoppage and halting times may be fixed under sub-rule (6).

(vi) The Permit Granting Authority shall comply with the provisions of sub-rule (6) within three months from the date of coming into force of these rules.

(5) Procedure for determination of time cycle- (i) Subject to the provisions of Section 71, Permit Granting Authority on receipt of an application in respect of grant of Stage Carriage Permit or change of timings thereof shall publish the summary of such application on office notice board along with date of hearing, for inviting any representation within seven days from such publication.

(ii) On the appointed date of hearing, the application along with any representation shall be considered by such Authority, in the presence of both the parties.

(iii) Every Permit Granting Authority shall maintain a computerized route-wise chart of time cycle according to the provisions of this rule.

(iv) Appropriate order shall be passed considering the provisions of this rule, within time limit fixed by sub-rule (4) of rule 74.

(6) Powers of the State Government- (a) Notwithstanding anything contained in rule 70-A, and considering the frequent bus accidents, overloading of passengers, quarrel between route operators regarding shortage of interlude of time cycle or any other relevant matters such as need to provide better and comfortable services to passengers, safety of women passengers, congestion of Stage Carriage services of lower seating capacity etc. the State Government may by order fix the higher carrying capacity of buses plying on high density traffic road mentioned in sub-rule (4) of this rule, under a valid permit. Such registered carrying capacity may not be less than 40 seats in respect of "Ordinary Services" and not less than 35 seats in respect of "Deluxe Services". Time of six months may be allowed by the State Government for replacement of operating vehicles on such notified routes.

(b) The State Government may grant relaxation, partially or completely by order, in respect of particular route from one or any of the above conditions, giving reasons in writing."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.के. माथुर, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.